

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत ये उपलब्ध सुविधाओं के अनुयायिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा 10 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

- (i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 8093.0
- (ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8093.0
- (iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- Open Classes, Amp Theater ,Basket Ball Court, Cricket Ground, Foot Ball ground Children garden, Table tennis boards .Fully Equipped science lab, Library Computer lab, mathematics Lab
- (iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 36
- (v) प्रधानाध्यक्ष-सह कार्यलय सह-भंडार कक्षा :- 2
- (vi) बातक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग खोजालय :- Western , Boys :- 12 , Girls 12
- (vii) पेयजल की सुविधा :- 20
- (viii) मच्छाह भोजन के लिये रसोई घर :- 1
- (ix) बाधारहित पहुँच [.] :-
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय :- e-book, Computers, maths kit, Smart classes, Maps White & green board,Fully equipped Composit lab, Toys , Table tennis board , Cricket kit, football, basketBall, Bally ball, Caram board, Chess , (Y , 280 , NewsPaper Magazine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अंतर्गत में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिकर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या [23715122021927100828, 2021] है। इस कार्यलय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय 'मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसवीकृति की बतों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संवातन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मित अनुरोधों का अनुपातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य बतें

विक्षासभाजन

₹ 0/-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, NAWADA
सह-सचिव प्रसवीकृत समिति
शिक्षा विभाग, विहार सरकार

DISTRICT PROGRAM OFFICER
(Bk. Edu. & SSA-), Nawada

NOC LETTER

Shah Nawada
Principal

The Diksha School

Abdul Kamil
Manager

THE DIKSHA SCHOOL
Nawada